

उप वन संरक्षक,
वनभवन मोहता पार्क के सामने
चेतक सर्कल, उदयपुर


विषय:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the **Khairwara-Jhadol road** within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 80.000 km District Udaipur (Raj.)

सन्दर्भ:-कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर का पत्र क्रमांक एफ()/तकनीकी/उ व स /2020-21 / 3576 दिनांक 08.06.2021


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 की पालना में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 09.03.2021 में अधिरोपित शर्तों की पालना में **Dinesh Engineers Limited** द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु कार्यालय में निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.स	विवरण	जो कार्यवाही की जानी है।
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	यूजर एजेंसी इस शर्त का पालन करने के लिये सहमत है। Undertaking Enclosed
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेंसी इस शर्त का पालन करने के लिये सहमत है। Undertaking Enclosed
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	यूजर एजेंसी इस शर्त का पालन करने के लिये सहमत है। Undertaking Enclosed
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	यूजर एजेंसी इस शर्त का पालन करने के लिये सहमत है। Undertaking Enclosed
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्पा नहीं लगाया जावेगा।	यूजर एजेंसी इस शर्त का पालन करने के लिये सहमत है। Undertaking Enclosed
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	यूजर एजेंसी इस शर्त का पालन करने के लिये सहमत है। Undertaking Enclosed
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान	यूजर एजेंसी इस शर्त का पालन करने के लिये सहमत है।



	भिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	Undertaking Enclosed
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	यूजर एजेंसी इस शर्त का पालन करने के लिये सहमत है। Undertaking Enclosed
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर दिया गया है प्रति संलग्न है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	यूजर एजेंसी इस शर्त का पालन करने के लिये सहमत है। Undertaking Enclosed
11	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	यूजर एजेंसी इस शर्त का पालन करने के लिये सहमत है। Undertaking Enclosed प्रस्तुत कर दिया गया है।
12	भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी -11/165/2019-एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना करें।	यूजर एजेंसी इस शर्त का पालन करने के लिये सहमत है। Undertaking Enclosed



(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited



राजस्थान RAJASTHAN

Serial No. 3612021
Date 12/6/2021

NOTARIAL

AY 494614

शपथ-पत्र


Diversion of 0.6275 ha. Of Forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. for Laying of Underground Optical Fiber Cahble along the **Khairwara-Jhadol** Road within the existing Row from KMS-0/0 to KMS 80.000 km District Udaipur (Raj.), Proposal No.:- (FP/RJ/OFC/49989/2020)

Applied Area :- 0.6275 ha

मनके Rakesh Kumar शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
2. यह है कि मिकर दिनेश इन्जियनिंग लिमिटेड का अंतर्नी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समसत उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

क्रमशः..2



..2..

प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की विना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के सहोंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल अपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
 9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
 10. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
 11. उक्त बिन्दु की पालना के क्रम में वनाधिकार अधिनियम के तहत वांछित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न कर दी गई है।
 12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण नरे हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय
DINESH ENGINEERS LIMITED
JAIPUR
(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

NOTARY
GOPAL KRISHNA DAHETI
Area
Dist. Udaipur
(Raj.)
Regd. No. 4982
Expiry Date
02/12/2022
INDIA

IDENTIFIED BY ME



Sworn before me & admitted
the contents to be true.

19 JUN 2021

GOPAL KRISHNA DAHETI
NOTARY, Area Dist. Udaipur (Raj.)
Regd. No. 4982, Expiry Date 02/12/2022


क्रमांक- FP/RJ/OFC/49989/2020

दिनांक-

Project Name:- Diversion of 0.6275 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the **Khairwara-Jhadol road** within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 80.000 km District Udaipur (Raj.)
Proposal No:- (FP/RJ/OFC/49989/2020)
Applied Area:- 0.6275 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बढ़ता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (32) वन/2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।



(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

दिनांक:-

क्रमांक- FP/RJ/OFC/49989/2020


Project Name:- Diversion of 0.6275 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the **Khairwara-Jhadol road** within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 80.000 km District Udaipur (Raj.)

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/49989/2020)

Applied Area:- 0.6275 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (32) वन/2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।



(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/49989/2020

दिनांक:-


Project Name:- Diversion of 0.6275 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the **Khairwara-Jhadol road** within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 80.000 km District Udaipur (Raj.)

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/49989/2020)

Applied Area:- 0.6275 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (32) वन/2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।



भवदीय

(Rakesh Kumar)

Deputy Manager

Dinesh Engineers Limited

दिनांक - 14.06.2021

क्रमांक - FP/RJ/OFC/49989/2020


Project Name:- Diversion of 0.6275 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the Khairwara-Jhadol road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 80.000 km District Udaipur (Raj.)

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/49989/2020)

Applied Area:- 0.6275 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बढ़ता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (32) वन/2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।



भवदीय

(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited


कमाक- FP/RJ/OFC/49989/2020

दिनांक:-

Project Name:- Diversion of 0.6275 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the **Khairwara-Jhadol road** within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 80.000 km District Udaipur (Raj.)
Proposal No:- (FP/RJ/OFC/49989/2020)
Applied Area:- 0.6275 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (32) वन/2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना मे यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।



भवदीय

(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/49989/2020

दिनांक:-

Project Name:- Diversion of 0.6275 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the **Khairwara-Jhadol road** within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 80.000 km District Udaipur (Raj.)

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/49989/2020)

Applied Area:- 0.6275 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (32) वन/2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।


भवदीय
(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

कमांक:- FP/RJ/OFC/49989/2020

दिनांक:-


Project Name:- Diversion of 0.6275 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the **Khairwara-Jhadol road** within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 80.000 km District Udaipur (Raj.)

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/49989/2020)

Applied Area:- 0.6275 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (32) वन/2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना मे यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।



भवदीय

(Rakesh Kumar)
Deputy Manager

Dinesh Engineers Limited

क्रमांक- FP/RJ/OFC/49989/2020

दिनांक-


Project Name:- Diversion of 0.6275 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the **Khairwara-Jhadol road** within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 80.000 km District Udaipur (Raj.)

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/49989/2020)

Applied Area:- 0.6275 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का बचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प 1 (32) वन/2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/49989/2020

दिनांक:-


Project Name:- Diversion of 0.6275 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the **Khairwara-Jhadol road** within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 80.000 km District Udaipur (Raj.)

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/49989/2020)

Applied Area:- 0.6275 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (32) वन/2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।


भवनदीय
☆ (Prakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/49989/2020

दिनांक:-


Project Name:- Diversion of 0.6275 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the **Khairwara-Jhadol road** within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 80.000 km District Udaipur (Raj.)

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/49989/2020)

Applied Area:- 0.6275 Ha

शैक्षणिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन कदता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (32) वन/2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा शैक्षणिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शैक्षणिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(Bhakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limi

FORM-1
(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District collector UDAIPUR

No. F.39/1()Rev/FRA/2023/ 687-89

Date: - 24.02.2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and forests (MoEF). Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence of having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006(FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It has been certified that a total area **0.6275 Hectares** of forest land is proposed to be diverted in favor of **Dinesh Engineers Limited Udaipur laying of Underground optical fiber cable for village Bhavariya, Upreta sub division Jhadol and Dama talab, jalapka, amba umbariya, Gadawan kakan sub division Rishabhdeo District udaipur** (purpose for diversion of forest land) for laying optical fiber cable in line comes under the jurisdiction of village **bhavariya, Upreta Jhadol Tehsil and Dama talab, jalapka, amba umbariya, Gadawan kakan Rishabhdeo Tehsil.**

It is further certified that: -

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.6275 Hectares** of forest area proposed from the from gram panchayat **Ganawan , Kojawada.**
- (b) A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub-Division Level committee (s) and the district level committee are enclosed as annexure.
- (c) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (d) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.


Encl:- As above

)
(Tara Chand Meena)
District Collector,
Udaipur

Copy forward to-

- ✓ 1. D.C.F. Udaipur.
2. S.D.M. Rishabhdeo/Jhadol.
3. Dinesh Engineers Limited.udaipur .

}
District Collector,
Udaipur




कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)


-: बैठक कार्यवाही विवरण :-


मेसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा जिले के उपखण्ड क्षेत्र झाडोल, गोगुन्दा, ऋषभदेव एवं लसाडिया में 0.1325 हे०, 0.3645 हे० एवं 0.6275 हेक्टर वन भूमि में अप्ठर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने के संबंध में आज दिनांक 30.01.2023 को जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।


उक्त उपखण्ड क्षेत्रों में ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत सभी सदस्यों ने प्रकरण का वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि प्रस्तावित वन भूमि के अधीन कोई व्यक्तिगत वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में वन क्षेत्र में कोई व्यक्तिगत दावा विचाराधीन है। तदनुसार उपखण्ड गोगुन्दा, झाडोल, ऋषभदेव एवं लसाडिया में अप्ठर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।


क्र. सं.	कार्य का नाम	उपखण्ड का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं.	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि	वन अधिकार पत्र जारी/ दावा स्वीकृत/ विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1		गोगुन्दा	पडावलीकला (इनसेटल्ड)	पडावली कला	-	नहीं	
2		झाडोल	भयरिया, 477, 478, 479, 01 उपरेटा 4, 5, 6, 10	उपरेटा	-	नहीं	ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा की सूची संलग्न एवं सम्बंधित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक विवरण
3	अप्ठर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन	ऋषभदेव	दामातालाव 1646, 1664, 1679, 1968/1664 जलपका 1303, 1364, 1829/910, 1808, 836 आम्बा उम्बरिया 325, 327, 329, 366, 374 गणवन कॉकण 1032, 2473	गणवन कोजावाडा	-	नहीं	
4		लसाडिया	गुजरो का मुडा 265/1 फूसरिया 356, 658, 609, 619	बलीचा ढिकिया	-	नहीं	



उप वन संरक्षक,
उदयपुर



अतिरिक्त कार्यकारी
अधिकारी,
जिला परिषद,
उदयपुर


उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास
विभाग, उदयपुर


जिला कलक्टर,
उदयपुर


श्रीमती नयली गमेती,
जिला परिषद सदस्य,
उदयपुर


श्री विजयराम,
जिला परिषद सदस्य,
उदयपुर


(श्री पुष्कर तेली)
उप जिला प्रमुख, जिला
परिषद, उदयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), खेरवाडा, जिला उदयपुर (95)

क्रमांक : एफ (1)/व.अ./2021/3825

दिनांक : 29/07/2021

प्रेषित :

श्रीमान जिला कलक्टर महादेय,
उदयपुर।


विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के संबंध में।

प्रसंग :- श्रीमान का पत्रांक प.39/1(राज./गै.व.प्र./2019/616 दिनांक 05.03.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगानुसार निवेदन है कि गैसर्स दिनेश इंजिनियर्स लि. इ-ग्रामरूकवर प्रोवाइडर (आईपी-1) द्वारा खेरवाडा-झाडोल सडक मार्ग पर अण्डर ग्राउण्ड आप्टीकल केबल विछाने का कार्य प्रस्तावित है। उपखण्ड खेरवाडा में ग्राम खेरवाडा से ग्राम सुवेरी तक कुल 15.07 किलोमीटर सडक है। यह सडक ग्राम खेरवाडा-कारछाकला-जवास-सुवेरी से होकर गुजरती है।

उक्त सडक मार्ग में वन विभाग की भूमि के संबंध में तहसीलदार खेरवाडा से जांच करवाई गई। जो मूल ही श्रीमान की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(प्रमोद सीरवी) 29/07/21
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव, जिला-उदयपुर, (राज.)

क्रमांक :-राजसव/व.अ./2022/1997

दिनांक :-09/9/2022

प्रेषित :-

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
उदयपुर

Rev
317
9/9/2022

विषय :- मैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाइबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और परमपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

प्रसंग:- श्रीमान् का पत्रांक प.39/1()राज./गै.व.प्र./2021/1788 दिनांक 01.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि मैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाइबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परमपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में ग्राम पंचायत जलपका, गडावण, कोजावाडाकी ग्राम सभाओं की प्रतियां एवं उपखण्ड स्तर की समिति की अनुशंसा की प्रति मूल ही संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उक्तानुसार

गोविन्द सिंह (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: प.39 / 1()राज./गै.व.प्र./2021 / 1788

दिनांक 01.08.2022

निमित्त

उपखण्ड अधिकारी,

शुभदेव ।

विषय: मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक: राजस्व/21/754 दिनांक 28.07.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। किन्तु उक्त प्रस्ताव के साथ उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की प्रतियां संलग्न नहीं हैं।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मामले में उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की प्रतियां शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

०१ (तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

(4)

कार्यालय तहसीलदार खैरवाड़ा जिला उदयपुर

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 754

दिनांक - 28.07.2021

प्रेषिति-

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय,
खैरवाड़ा ।

विषय - अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि, मेसर्स दिनेश इंजिनियर्स लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड (आईपी-1) द्वारा खैरवाड़ा -झाडोल मार्ग पर अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित हैं । खैरवाड़ा से सुवेरी सड़क 15.7 किमी. हैं । यह सड़क ग्राम खैरवाड़ा, जवास, कारछकला एवं सुवेरी सेहोकर गुजरती हैं । राजस्व रेकार्ड एवं गुगल मैप के अनुसार उक्त मार्ग में वन विभाग की भूमि नहीं हैं । सम्बन्धित पटवारी द्वारा उक्त मार्ग में आने वाले खसरा नम्बरो का नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया हैं ।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पटवारी हल्का खैरवाड़ा, जवास, कारछा कला एवं सुवेरी से प्राप्त जांच रिपोर्ट मूल ही संलग्न पत्र श्रीमान् की सेवा में प्रेषित हैं ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

LR
28/07

2
तहसीलदार, खैरवाड़ा
जिला उदयपुर

ग्राम पंचायत खनिहोडा, तालुका, जिला, राज्य

क्रमांक/आवास/2022-23/563

श्रीमान् उपसहस्र अधिकारी महोदय
उपसहस्र ऋषभदेव।

विषय :- मेरासी दिनेश ईजिनियरिंग को अग्रणी अग्रणी को मिले परिसर को
बिछान हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत जनजाति को अधिकार को अधिकार
की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।
परसंग :- आपके पत्र क्रमांक शीडर/2022/1690-91 दिनांक 15.06.2022 के क्रम में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयानुसार मेरासी दिनेश ईजिनियरिंग को अग्रणी अग्रणी को मिले परिसर को
लाईन बिछान हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत जनजाति को अधिकार को अधिकार
अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायतों से ग्राम सभा के प्रस्ताव माँद
गये हैं। जो संलग्न कर श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत है।

संलग्न :- प्रस्ताव की प्रतियां 4 ग्राम पंचायत।



(उपसहस्र अधिकारी)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति ऋषभदेव

21/11/22

21/11/22



कार्यालय ग्राम पंचायत, जलपका

पंचायत समिति ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)



दिनांक :- 20/06/2022

FRA
20/6/2022


श्रीमान विकास झाधिकारी महोदय,
पाठ सं ११६०५५, जिला उदयपुर !

विषय :- मेसर्स दिनेश इंजिनियरिंग द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन क्षेत्र में अण्डर ग्राउंड ड्राफ्टिंग कार्ड लाइन विद्यमान है इस काम समाप्त होने की यह कितने लागत -

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कार्यालय पाठ सं ११६०५५ के आदेश क्रमांक पसब/ज.समा/प/2022-23/509 दिनांक 16.6.22 की अनुपालना में ग्राम पाठ सं जलपका के अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन क्षेत्र में मेसर्स दिनेश इंजिनियरिंग द्वारा अण्डर ग्राउंड ड्राफ्टिंग कार्ड लाइन विद्यमान है इस काम समाप्त दिनांक 20.6.22 पुराना सं 1 के द्वारा सर्वसहमति प्रोसेडिंग की गई अनुसूचित जाति और अन्य क्षेत्र में जिसके पुराना सं 1 के द्वारा समाप्त प्रोसेडिंग की गई थी यह भी उक्त में प्रहित है

संलग्न :-

1 काम समाप्त कार्यालयी धी पर


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - जलपका
पस. ऋषभदेव, जि. उदयपुर (राज.)

उपार्यात मे ग्राम सभा का आयोजन किया गया
 निम्न अधिकारी एवं फुअचारी गण उपार्यात हुए आ निम्न

क्र.सं.	नाम अधिकारी फुअचारी	पद	मो.नं.	व्य.सं.
1	मनजीत लाल मीणा	प.उ.प.	9799317764	
2	रमेश्वरी रमिलदेवी मीणा	सरपंच	8387946817	
3	मोहन लाल मीणा	उप-सरपंच	8955935315	साहू
4	लक्ष्मण लाल मीणा	वाड पंच	6378382385	
5	रीना देवी मीणा	वाड पंच	9950291257	शेताड
6	प्रधान लाल मीणा	प-सहायक	7850945909	हामण
7	पूजा कुममचन्द मीणा	प-सहायक	8302566396	पिपल
8	पुनम चन्द पाटील	वृ.सं.	8596177272	
9	मोगळी डवी	वाड पंच	7877113769	मोगल
10	लक्ष्मी डवी	वाड पंच	9636163495	लक्ष्मी
11	शालिलाल	वाड पंच	9521688196	शालिलाल
12	रमेश शालिल	वाड पंच	7073176152	रमेश

पुस्तक सं-1- आज की दुनिया में अग्रश्रेणी ग्रामजाति
 और परम्परागत वन निवासि (वन अधिकारी को
 मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि के
 प्रत्यापन हेतु मैसूर दिनेश्वरी डीपी नियंत्रण का
 आउटर 20305 आ.र.क.का फाउंडर लाइन विधान
 के लिए ग्राम सभा में सर्वसहमत से पुस्तक
 पारित कर अनुमोदन किया जाता है।

पुस्तक सं-2- कृषि हेतु प्रावृदाई हेतु भवका विवरण
 ज्ञान आधार प आधार से विवरण प्रियाजा रखा है।
 सरपंच साहिवा रमिलदेवी द्वारा ग्राम सभा को
 प्रस्तुत कर अनुमोदन किया गया।

म. विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत-जलपक
 म. विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत-जलपक

साहिवा
 रमिलदेवी
 पुनम
 शालिलाल
 रमेश

कार्यालय ग्राम पंचायत, गडावण

पंचायत समिति रूपभद्र, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक जा०पर गडावण/२०२२-२३/२०३

दिनांक २३-०६-२०२२

FAD
24/6/2022

श्रीमान विकास अधिकारी महोदय,

प० ए० रूपभद्र जिला उदयपुर

विषय:-

मैसर्स दिग्गज इंजिनियरिंग द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन क्षेत्र में अष्ट ग्राउंड ओप्लीकल फाउंडर लाइन विद्यमान हेतु ग्राम सभा अनुमोदन की प्रति किराके वापस ।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपरिलिखित प० ए० रूपभद्र के आदेश क्रमांक प०पर/जा.विभा/प०/२०२२-२३/५१ दिनांक 16/06/22 की अनुपालना में जा.प० क्षेत्र गडावण के अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन क्षेत्र में मैसर्स दिग्गज इंजिनियरिंग द्वारा अष्ट ग्राउंड ओप्लीकल फाउंडर लाइन विद्यमान हेतु ग्राम सभा दिनांक २५/०५/२२ प्रास्ताविक रूप में द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन स्वीकार किया गया है, जिसके प्रमाण के हेतु ग्राम सभा प्रोसेडिंग की प्रति श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

साधन:-

1. ग्राम सभा कार्यवाही की प्रति -

ग्राम सभा अध्यक्ष
गडावण


विशेष ग्राम सभा

आज दिनांक 24/04/2022 को ग्राम पंचायत गडावन पर संरक्षण सा. न. श्री बट्टीलाल मीणा की अध्यक्षता में पंचायतीराज दिवस के उपलक्ष्य में जिला परिषद उदयपुर के पत्र क्रमांक 3361-62 दिनांक 19/04/2022 के क्रम में व पंचायत समिति त्रयभदेव के आदेश क्रमांक पसत्र/ग्राम सभा/2022-23/83 के अनुसार आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत निम्न विषयों पर चर्चा की गई -

- ① आंगनवाडी कार्यकर्ता / सहायिका / साधिन का चयन
- ② खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र व्यक्तियों को हटाना एवं पात्र को लाभ दिलवाना।
- ③ आधार सिडिंग कार्य
- ④ पनाधिकार की पत्रावलियों का ग्राम सभा में अनुमोदन
- ⑤ ग्राम पंचायत में जो किसान के.सी.सी. से वंचित हैं उनके आवेदन पत्र पत्र घर बैठे में मिलवाना
- ⑥ आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के सम्बन्ध में
- ⑦ बाल विवाह रोकथाम सम्बन्ध में
- ⑧ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सम्बन्धी जानकारी

इस ग्राम सभा के अन्तर्गत निम्न अधिकारी / कर्मचारी / जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए

नाम / कर्मचारी / अधिकारी / जनप्रतिनिधि	विभाग	पद	मो. न.	हस्ताक्षर
बट्टीलाल मीणा	पंचायतीराज	सरपंच	7568546680	
पुनूलाल मीणा	पंचायतीराज	VSO		
दिताराम	—	वाडपंच		दिताराम
अशोक कुमार भण्डारी	—	पंचायत सहायिका	8890254246	अशोक
श्रीमति सीता देवी	ICDS	आंगनवाडी कार्यकर्ता		सीता देवी
जगदीश चन्द मीणा	पंचायतीराज	लाइफ-व	9509340041	जगदीश


जगदीश



प्रस्ताव नं. 1 आज दिनांक को कायेजित ग्राम
 सभा में मेमल दिनेश इन्जिनियरिंग को अउडर
 शाउडर ऑप्टीकल फाइबर लाइन बिछाये हेतु
 अनुसूचित जन जाति क्षेत्र अन्तर्गत परम्परागत
 जन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता)
 अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुआ
 है। निल पर ग्राम सभा वगैर सह निर्णय
 लिया गया है कि मेमल दिनेश इन्जिनियरिंग
 द्वारा अनुसूचित जन जाति क्षेत्र में अउडर शाउडर
 ऑप्टीकल फाइबर लाइन बिछाई जाती है
 तो ग्राम सभा को कोई आपत्ति नही है।
 अतः ग्राम पंचायत क्षेत्र के
 अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति क्षेत्र में अउडर
 शाउडर ऑप्टीकल फाइबर लाइन बिछाये
 जाने को ग्राम सभा द्वारा सब सहमति
 से अनुमोदन स्वीकार किया गया है।

शुक्ला
 राजा
 लक्ष्मी
 राजेश्वर
 सुभाष
 रमेश
 जीवा
 दिलीप
 भावा
 शिव
 अतः
 शाउडर
 कर्तबखश
 शिव
 दीपिका
 शीता
 अक्षय
 शिव
 शशि
 वंश

ग्राम पंचायत महावच
 व स. सुबमदेव, जिला-उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत गड...
 पं.स. मधुप्रदेव, जिला-उदयपुर (राज.)

कायालय ग्राम पंचायत, नलापीपला

पंचायत समिति ऋषभदेव, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक उजा-पंचायत/२०२२-२३/२१७

दिनांक २३-०६-२०२२

सेवाएँ:

क्षीमात्र विज्ञान अधिकारी, मछोदप

पञ्च मण्डल ऋषभदेव जिला-उदयपुर

FRA
22/6/2022

विषय: जेसर्स दिनेश इंजिनियरिंग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन क्षेत्र में अंडर शाकलु ओमटीकल फारमर छादन विद्यार्थी हेतु ग्राम सभा अनुमोदन की प्रति भिजवाने बाबत।

मछोदप

उपरोक्त विषयान्वयित निवेदन हेतु कार्यालय पञ्च मण्डल ऋषभदेव के अधीन क्रमांक पञ्च मण्डल/आ.सभा/पञ्च/२०२२/२३) २७ दिनांक १६/०६/२२ की अनुपालना के आ पञ्च मण्डल नलापीपला के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन क्षेत्र के जेसर्स दिनेश इंजिनियरिंग द्वारा अंडर शाकलु ओमटीकल फारमर छादन विद्यार्थी हेतु कि ग्राम सभा दिनांक २५/०५/२२ प्रास्तावक सं ०३ के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन स्वीकार किया गया है त्रिनेशु प्रमाण पत्र हेतु ग्राम सभा प्रोसेडिंग की प्रति क्षीमात्र की सेवा के प्रेषित है।

सलजना:-

१) ग्राम सभा अधिवासी की प्रति

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
प.स. ऋषभदेव (उदयपुर)

विशेष ग्राम सभा

आज दिनांक 24/04/2022 को ग्राम पंचायत नलापीपला 5
 पर संपन्न सा. प्र. धानसुन्द स्वामी की अध्यक्षता
 में पंचायतीराज दिवस के उपलक्ष्य में जिला परिषद
 उदमपुर के पत्र क्रमांक 3361-62 दिनांक 19.04.2022 के उद्देश्य
 में व पंचायतसमिती अधिनियम के आदेश क्रमांक पसबद/ग्राम 5
 सभा/2022-23/83 के अनुसार आज विशेष ग्राम सभा
 का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत निम्न बिन्दुओं पर
 चर्चा की गई -

- 1) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहयोगी/साफ़ि का नया
 - 2) खाद्य सुरक्षा योजना में आपन्न व्यक्तियों को हटाना एवं पात्र को
लागू दिलवाना।
 - 3) आधार सिद्धि कार्य
 - 4) वनाधिकार की पत्रावलियों का ग्राम सभा में अनुमोदन
 - 5) ग्राम पंचायत में जो किसान के.सी.सी.से वंचित हैं उन्हें आवेदन
पत्र प्राप्त कर बैंक में गिजवाना
 - 6) आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के समर्थन में
 - 7) बाल विवाह रोकथाम संबंधी
 - 8) निरंजनी स्वास्थ्य बीमा योजना संबंधी जानकारी।
- इस ग्राम सभा के अंतर्गत निम्न अधिकारी/कर्मचारी व जनप्रतिनिधि

उपासीत हुए -

क्र.सं.	अधिकारी/अभिनीत जनप्रतिनिधि	विभाग	पद	मो.न.	हस्ताक्षर

	शावर चण्ड	पंचायतीराज	संपन्न	9660998470	-----
	प्रमोदा देवी	पंचायतीराज	VDO	8890305121	-----
	गैफला भराडा	---	LDC	9983537605	-----
	काऊ देवी	पंचायतीराज	वाडि पंच		काऊ
	पुष्पलाल	---	---		-----
	महेश कुमार	---	---		-----
	फतेहर देवी	---	पंचायत सहायक	9929440463	-----
	कालुलाल	सामयिक अधिकारी/आयुक्त/पंचायत सहायक (अथवा)		7568604921	-----

प्रस्ताव सं. 1 गांव की गांठ सभा में नरेम से संबंधित
 सार्वजनिक काम नालीपत्र व सभा में
 काम के अन्तर्गत प्राप्त हुए।

डो. 11
 टुकरी

प्रस्ताव सं. 2 गांव की गांठ सभा के अन्तर्गत गांठ पंचायत
 नालीपत्र में सुयोग्य परिशिष्ट व पंचायत स्टाफ
 द्वारा सभा विकास के सर्वाधिक सेवाओं के वास्तविक और
 प्रभावी वितरण के महत्व के साथ समाज की आवश्यकताओं
 को सम्मानित हुए निम्न बिन्दुओं को प्रस्ताव में अनुमोदन में
 लिया गया -

निर्दिष्ट
 निम्न
 निम्न
 चर्चा

- 1) गांठ पंचायत नालीपत्र चर्च की सेवाओं के वितरण सम्बन्धी
 व जनान देवी स्वामीय स्वशासन की प्राप्ति को पहल में
- 2) गांठ पंचायत नालीपत्र चर्च की सेवाओं की डिमांड और
 वितरण करते समय विविध विचारों को शामिल करेंगे।
- 3) गांठ पंचायत नालीपत्र चर्च की सेवा के अनुभवों को महत्व
 करने के लिए सेवाओं की समाज पर गुणवत्ता प्रति जागरूक
 सुनिश्चित करेंगे।
- 4) ई-गवर्नन्स और आइसीटी उपकरणों का लाभ उठाकर
 समाज उपरोक्त हुए सर्वाधिक

निम्न

प्रस्ताव सं. 3 आज दिनांक को आयोजित ग्राम सभाओं
 में ग्राम दिनेश इंजिनियरिंग को अवर ग्राउंड ऑफरीकल
 फाइबर लाइन विद्यमान हेतु अनुसूचित जनजाति और ग्राम
 परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

निम्न

जिस पर ग्राम सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया
 कि ग्राम दिनेश इंजिनियरिंग द्वारा अनुसूचित जनजाति
 क्षेत्र में अवर ग्राउंड ऑफरीकल फाइबर लाइन विद्यमान
 जाती है तो ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

निम्न

अतः ग्राम पंच. क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित
 जन जाति क्षेत्र में अवर ग्राउंड ऑफरीकल फाइबर
 लाइन विद्यमान होने का ग्राम सभा द्वारा सर्व सहमति से
 अनुमोदन स्वीकार किया गया।

निम्न
 4/11

गांव विकास अधिकारी
 गांव विकास अधिकारी
 गांव विकास अधिकारी

गांव विकास अधिकारी
 गांव विकास अधिकारी
 गांव विकास अधिकारी

कार्यालय ग्राम पंचायत कोजावाड़ा

पंचायत समिति मध्यप्रदेश जिला-उदयपुर (राज.)

क्र.स. ग्राम.कोजावाड़ा / 28 /

दिनांक.....22.06.2022

FRA
22/06/2022

-डीमान निवास अधिकारी महोदय,
पैलन क्रमगढ़, जिला-उदयपुर।


विषय:- गैसल दिनेश इंजिनियरिंग द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य-
परम्परागत वन क्षेत्र में शब्द श्रुत ऑफिसियल फाइल लाइन
बिछाने हेतु ग्राम लभा श्रुतगण की प्रति गिजबोके बावत:-


महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कार्यालय पं.स. क्रमगढ़
के आदेश क्रम पं.स.क्र/ग्र.समा/प/2022-23/509 दिनांक 16.6.22 की अनु-
पालना में, ग्र.पं. क्षेत्र कोजावाड़ा के अनुसूचित जाति और अन्य -
परम्परागत वन क्षेत्र में गैसल दिनेश इंजिनियरिंग द्वारा शब्द श्रुत ऑफिसी-
यल फाइल लाइन बिछाने हेतु ग्राम लभा दिनांक 22.03.2022 उत्तर
सं. 2 के द्वारा सर्व सहमति से श्रुतगण स्वीकार किया गया है, जिसे
प्रमाणपत्र हेतु ग्राम लभा प्रोसेडिंग की प्रति -डीमान कीलेवा में प्रेषित
है।

संलग्न:-

1 - ग्राम लभा कार्याही की प्रति


सरपंच
ग्राम पंचायत कोजावाड़ा
पं.स. मध्यप्रदेश जि. उदयपुर (राज.)


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - कोजावाड़ा
पं.स. मध्यप्रदेश जि. उदयपुर (राज.)

विशेष - ग्राम सभा

दिनांक 10.3.2022

Karnal

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महो० जिला परिषद उदयपुर
के आदेश क्रमांक एफ।उ।जिप३/पंचायत/2021-22/1452 दिनांक 4.3.2022
की अनुपालना में आज दिनांक 10.3.2022 को श.जा.
सेवा केंद्र कोजावाड़ा पर सचिव साठ श्रीमती अनितादेवी
श्रीणा की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन
सिद्धा गया। ग्राम सभा में निम्न लिखित अधिकारी/
कर्मचारियों ने भाग लिया।

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्रीमान हेमन्त कुमार अर्बरा	पटल	
2	श्रीमती अनितादेवी श्रीणा	सचिव	
3	श्री शिवचन लाल	VDO	
4	लक्ष्मण लाल मेववाल	पंचसद.	
5	पुष्पाशचन श्रीणा	LDC	
6	हेमलता परेस	प. सहायक	
7	राजीव शर्मा	ग्राहथापक	

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - कोजावाड़ा
पंचायत, जयपुर (राज.)

प्रस्ताव सं-1

(Karnal)

उपरोक्त दिनांक को आयोजित ग्राम सभा में -इलाहाबाद
 आतिथित जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा
 कार्यालय उदयपुर द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र कोगावाडा
 निम्नलिखित विद्यालयों में जो भी डीएम एफटी क्षेत्र में है
 उनमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जा
 हेतु प्रस्तावित किए गये हैं। ग्राम सभा में उपरोक्त कार्य
 सूचीको पढ़कर सुनाया गया जिनका विवरण निम्नांकित है:-

क्र.सं.	कार्यका नाम	विद्यालयका नाम	ग्र.पं.
1.	अभ्युत्थान कार्य -	रा. प्रा. वि. नल्लाफला	कोगावाडा
2.	अभ्युत्थान कार्य -	रा. प्रा. वि. रेडफला	कोगावाडा
3.	एक आतिथित कृषानुसंधान- कार्य -	रा. प्रा. वि. रेडफला	कोगावाडा
4.	आई सी टी लैब स्थापना कार्य -	रा. उ. प्रा. वि. कोगावाडा	कोगावाडा

उपरोक्त सभी कार्यों पर विचार विमर्श करने
 के बाद ग्राम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उपरोक्त
 सभी विद्यालयों में प्रस्तावित सभी कार्य कराये जाने की
 इच्छा व्यक्त की गई तथा शीघ्र ही उपरोक्त सभी
 कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्त सभी का ग्राम सभा
 द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही स्वीकार किया

सहायक
 अध्यक्ष
 कोगावाडा

गामा

आज दिनांक को कोषागित ग्राम लता में -
मैलार् दिनेश इंजिनियरिंग को क्वॉल ग्राउंड कोषी कल
फाईल लाइन विधाने हेतु कृष्णनिल जनजाति कोष -
कान्द परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की शक्ती)

अधिकार 2006 के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
जिन पर ग्राम लता काय सह निर्णय लिया
गया कि मैलार् दिनेश इंजिनियरिंग काय कृष्णनिल जनजाति
क्षेत्र में क्वॉल ग्राउंड कोषी कल फाईल लाइन विधाने
जाती है तो ग्राम लता को कोई कोषी नहीं है।

इतना, शा.प. क्षेत्र में कान्दगत कृष्णनिल जन
जनजाति क्षेत्र में क्वॉल ग्राउंड कोषी कल फाईल लाइन
विधाने जाने का ग्राम लता काय सर्व सहमति से
अनुमोदन स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं. 3

आज दिनांक को कोषागित ग्राम लता
में निम्नलिखित स्थानों पर स्तंभ हेतु पेप लगावपे जाने
का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।


क्र.सं. कार्य / स्थान का नाम


1. हेड पेप (स्थापना) कार्य - जगन्नाथ / खालुके धर के पाठ नलाकला
2. हेड पेप (स्थापना) कार्य - गोतरी वडा के धर के पाठ नलाकला
3. हेड पेप (स्थापना) कार्य - शमशाक धर के पाठ जहीर
4. हेड पेप (स्थापना) कार्य - बनेज / थणप के धर के पाठ
धार नला कोनावा।

उपरोक्त सभी का ग्राम लता काय सर्व
सहमति से अनुमोदन स्वीकार किया गया।

विभागीय अधिकारी
ग्राम पंचायत - कोषागित

उपरोक्त सभी के अनुमोदन पर्याप्त
ग्राम सभा की कार्यवाही सद्य-प बाद समाप्त
की गई।



ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोजाबाड़ी
पं.स. कापूरदेव जि. उदयपुर


ग्राम पंचायत कोजाबाड़ी
पं.स. कापूरदेव जि. उदयपुर (राज.)


हेरालाल महेन्द्र लखुलाल
जाजा

संजय मंगलनाथ मंगलनाथ

केलार गोरम


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोजाबाड़ी
पं.स. कापूरदेव जि. उदयपुर (राज.)

पपीर भगत राम
सुखलाल

 ललीबाई श्रीराम धापरा
कुरमा

ग्राम पंचायत कोजाबाड़ी
पं.स. कापूरदेव जि. उदयपुर (राज.)

शांतादेवी कंचन पटेल

सुभा मायादेवी लक्ष्मणलाल

कल्याणलाल भगन

मीमा नानालाल रामलाल

राकेश कुमार

कार्यालय तहसीलदार ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक: राजस्व / 2022 / 636

दिनांक 24/6/2022

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
ऋषभदेव।

विषय:- मैसर्स दिनेश ईंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और परमपरागत वन निवासी अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

प्रसंग:- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय का पत्रांक प.39/1()राज./सौ.व.प्र./2021/1788 दिनांक 01.06.2022 एवं आप श्रीमान के पत्रांक रीडर/2022/1690-91 दिनांक 15.06.2022 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि है, जिसमें मैसर्स दिनेश ईंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और परमपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में प्राप्त पत्र के क्रम में पटवारी हल्का कोजावाडा, सागवाडा, जलपका, गडावण से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो मूल ही पत्र के साथ संलग्न कर आप श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार


तहसीलदार ऋषभदेव
जिला उदयपुर (राज.)

11457
9
2.4.6.22

रिपोर्ट पत्रकार हल्का कोजावाडा तह. प्रत्यक्षिय जिल्हा-उदयपुर

सेवा,

श्रीमान तहसीलदार साहब
तहसील कार्यालय
प्रत्यक्षिय


21.6.22


विषय:- मेसर्स विनेश इंजिनियरिंग को अडरग्राउंड आर्टीफिशियल
छादक लाइन विधान हेतु वन विभाग भूमि में अनुमति के
संबंध में।

संदर्भ:- श्रीमान कार्यालय तहसील प्रत्यक्षिय पत्र क्रमांक:- 21/6/22
2022 1568-5 89 दिनांक 15/06/2022 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है की पत्रकार हल्का
कोजावाडा तह. प्रत्यक्षिय में मुख्य अडरग्राफ प्रत्यक्षिय से
आर्टीफिशियल छादक लाइन वन विभाग खण्ड साहाय्य से-ए
वन विभाग के खसरा नं. 1/मावंगी एवं नक्शा ड्रॉज जिलमें
श्री अडरग्राउंड आर्टीफिशियल छादक लाइन विभाग
प्रस्तावित है उक्त संबंधित आ.ग की मावंगी नकल
एवं नक्शा ड्रॉज संलग्न रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित
है।

रिपोर्ट क्र. 2



(विनायक कुमार)
पत्रकार (प.प्र.)
पत्रकार आ.ग. कोजावाडा
संलग्न- 21/6/22

सेवांगे

Her
21.6.22

श्रीमान तहलीलदा साहब

तहलील मार्गलम त्रुफलोष

शिका उदुमपुर

विषय: मेसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अउर गुरुठ आपीकल कार्बिड लाइन विधान हेतु वन विभाग भूमि में शकति के लब्धय में प्रकाश - श्रीमान मार्गलम तहलील त्रुफलोष पत्रा-समाह - शकाम / 2022 / 586-589 दिनांक 17/06/2022 के लब्धय में

भेदोपकी

अपरोक्ष विषयनितागत विवेक ई कि परिवार हला - सागता स्व जलपका के मुख्य ससु मार्ग त्रुफलोष श्री शौकेज (साडी) के शमीन लिखत वन विभाग खासा नम्बर की जमावती एवं वबना हेतु शिकमे नि अउर गुरुठ आपीकल कार्बिड लाइन विधाना प्रतावित ही एवत सम्बन्धित खासा नम्बर की जमावती नम्बर एवं वजाहेत खानगन रिपोर्ट श्रीमान जी विदा में पेश है।

रिपोर्ट निरन्तर पेग ②

तहलील मार्गलम त्रुफलोष (उदुमपुर)

कार्यालय तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक-राजस्व/2022/1256

दिनांक 14.01.2023.

प्रेषित,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
ऋषभदेव

विषय:- मंसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के संबंध में।

प्रसंग:- श्रीमान् उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर का पत्रांक 5483 दिनांक 13.01.2023 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हे कि मंसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि अन्तर्गत राजस्व ग्राम दाभातालाव के खसरा संख्या 1646, 1664, 1679, 1988/1664, राजस्व ग्राम जलपका के खसरा संख्या 1303, 1364, 1828/910, 1808, 836, राजस्व ग्राम आम्बा उम्बरिया के खसरा संख्या 325, 327, 329, 366, 374 एवं राजस्व ग्राम गडावण काकण के खसरा संख्या 1032, 2473 में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बरों में वनाधिकार के पट्टे जारी किये गये हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने पर व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टों की भूमि प्रभावित नहीं होती है।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

(श्याम सिंह चारण)

तहसीलदार
ऋषभदेव जिला उदयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : एफ 4() टीएडी/वन.अधि./2023/ 5770

दिनांक : 24/11/23

श्रीमान् जिला कलक्टर
उदयपुर।

विषय : मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइटर द्वारा ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध में।

प्रसंग : श्रीमान् का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक प 12/3()राजस्व/आवं/23/107 दिनांक 11-1-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अर्द्धशासकीय पत्रांक के निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी के साथ दिनांक 16-1-2023 एवं 19-1-2023 को लसाडिया एवं ऋषभदेव क्षेत्र में मौका निरीक्षण किया गया जिसकी तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। रिपोर्ट अनुसार ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने पर व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टों की भूमि प्रभावित नहीं होती है।

रिपोर्ट संलग्न कर श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

h

(पर्वत सिंह चुण्डावत)RAS
उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : एफ 4 () टीएडी / वन.अधि. / 2023 / 5483

दिनांक : 13/11/23

उपखण्ड अधिकारी,
गोगुन्दा / झाडोल /
ऋषभदेव / लसाडिया
जिला उदयपुर।

विषय :- मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक प 12/3() राजस्व/आव/23/107/ दिनांक 11-1-2023 (संलग्न) द्वारा इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा जिले के उपखण्ड गोगुन्दा, झाडोल, ऋषभदेव एवं लसाडिया में वन भूमि में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध में निम्नांकित राजस्व ग्राम के सामुदायिक व व्यक्तिगत अधिकार पट्टे जारी किये गये हैं या नहीं एवं विचाराधीन है/नहीं है। इस सम्बन्ध में सूचना श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा अविलम्ब चाही गई है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	उपखण्ड का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं.	ग्राम पंचायत का नाम
1	अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन	गोगुन्दा	पडावलीकला (अनसेटल्ड)	पडावली कला
2		झाडोल	भवरिया 477,478,479,01 उपरेटा 4,5,6,10	उपरेटा
3		ऋषभदेव	दामातालाव 1646,1664,1679,1988 / 1664 जलपका 1303,1364,1828 / 910,1808,836 आम्बा उम्बरिया 325,327,329,366,374 गणवन काकण 1032,2473	गणावन कोजावाडा
4		लसाडिया	बलीचा 899 / 1, 944 / 1 ढिकिया 658,609	बलीचा ढिकिया

जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु प्रभावित उक्त खसरा नं. के वन अधिकार पत्र धारकों की मौका निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तीन दिवस में भिजवाने का श्रम करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

h

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: प.39/1()राज./वना./2019/11.24

दिनांक 04.04.2022

निमित्त,

1. उप वन संरक्षक,
उदयपुर।
2. उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत गैररार दिनेश ईंजिनियर लि. को गोमुन्दा-किरट मार्ग, खेरवाडा-झाड़ोल मार्ग एवं बडी सादडी-लसाडिया मार्ग पर स्थित वन भूमियों में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर केबल विछाने हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर महोदय के समक्ष चर्चा हेतु दिनांक 12.04.2022 को प्रातः 10:30 बजे बैठक निर्धारित की गई है।

अतः मामले में आप संबंधित नियम/कानूनी प्रावधान के साथ बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित होंगे।

311
(ओ.वी.बुनकर)
अति. जिला कलक्टर,
उदयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: प.39/1()राज./वना./2019/606

दिनांक 15.02.2022

निमित्त,

1. उप वन संरक्षक,
उदयपुर।
2. उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैसर्स दिनेश इंजिनियर्स लि. को गोगुन्दा-किरट मार्ग, खेरवाडा-झाडोल मार्ग एवं बडी सादडी-लसाडिया मार्ग पर स्थित वन भूमियों में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर महोदय के समक्ष चर्चा हेतु दिनांक 21.02.2022 को सांय: 05:00 बजे बैठक निर्धारित की गई है।

अतः मामले में आप संबंधित नियम/कानूनी प्रावधान के साथ बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित होंगे।

(ओ.बी.बुनकर)
अति. जिला कलक्टर,
Ok उदयपुर

Deshmukh's son transferred ₹4.7cr to trust as 'donation': ED

Funds Diverted With Help From Delhi-Based Hawala Operators



Former Maha cabinet minister Anil Deshmukh's personal assistant Kundan Shinde being taken to a Mumbai court on Saturday

Mumbai: Of the money collected from bars and restaurants by dismissed cop Sachin Waze, Rs 4.7 crore was transferred to former state home minister Anil Deshmukh's Nagpur-based educational trust by his son, routing it through two hawala operators and showing it as donation, the enforcement directorate has said.

Late on Friday, ED arrested Deshmukh's private secretary Sanjiv Palande and his personal assistant Kundan Shinde (as reported in some TOI editions) and a special court remanded them to ED custody until July 1. The ED in its remand application seeking their custody stated Palande and Shinde had played an active role in money laundering. Palande had coordinated with Waze, DCP Sanjay Patil for allegedly illegally collecting money from the orchestra bar owners in Mumbai, and the amount was handed over to Shinde.

In his statement to the ED, Waze said he had collected Rs 4.7 crore between December 2020 to February 2021 (during the period, the government relaxed the Covid lockdown condition allowing bars to operate), and handed over the money to Shinde in two instal-

ments. The remand application has mentioned diversion of funds collected from "orchestra bar owners" by Waze into the account of Shri Sai Shikshan Sanstha, through a Delhi-based hawala operator. Anil Deshmukh is the president of the trust and his two sons, Salil and Hrishikesh, are trustees.

The ED recorded the statement of prominent bar owners of the city who had allegedly collected money from other bar owners known to them for the smooth functioning of their business. They stated that in December, 60-orchestra bar owners paid Rs 40 lakh to Waze as "good luck" money and then between January and February all the bar owners had collectively contributed Rs 43 crore for

Waze who then handed all the collection to Deshmukh's staff. Waze had told the bar owners the collected money will go to "Number 1" and the crime branch and social service branch of Mumbai police, said the remand plea.

Delhi-based book entry operators, Jain brothers (Surenndra and Virendra), told ED officials that Hrishikesh, through his associate, had approached them requesting an arrangement to take cash and transfer the amount to his trust through regular banking transactions-as donations, said the remand application. It stated the cash from bar owners in Mumbai was transferred to the Jain brothers through a hawala channel.

The ED had summoned

BJP will restore OBC quota or I'll quit politics, says Fadnavis

Nagpur: Launching a scathing attack on Maharashtra's Maha Vikas Aghadi (MVA) government for its "failure" to defend the OBC reservation in the local body polls, leader of opposition in assembly Devendra Fadnavis on Saturday challenged its ministers to hand over the reins to BJP so that it can restore the quota within four months. "It's high time MVA ministers either restore 27% OBC reservation in all local bodies or step down. If we (BJP) fail to restore the reservation, I will retire from politics," he said.

Anil Deshmukh for his statement on Saturday but he did not turn up. Deshmukh wrote to the ED showing his inability to present himself for questioning and said, "I am sanguine to expose the falsity, holiness and lack of substance in the allegation levelled against me."

In their statements to ED, Bhujbal and Patil said they had instructions from the then home minister's office to collect Rs 100 crore from bar owners with the help of Waze for Deshmukh.

Will touch Nitish's feet, but I oppose his policies: Chirag

Ramashankar | TNM

Patna: LJP's Jamui MP Chirag Paswan said on Saturday that he would have "no hesitation in touching the CM's (Nitish Kumar's) feet when he meets him" but would "continue to oppose him for his policies".

Deeply hurt after the coup in LJP, which was fomented by his father and former Union minister Ram Vilas Paswan, Chirag said in an interview with a private news channel: "I decided to go solo in the Bihar assembly polls last year after a meeting of senior party leaders that was also attended by my uncle Pashupati Kumar Paras."

He said his father had advised him not to contest the polls in coalition with JD(U), which had caused a split in the party in 2006 and 2010. "LJP

'KIN CAN'T CHOOSE ORGAN RECIPIENTS' FACE OFF

Organ donations should be guided by doctors, not a family's wishes, readers said in this week's Times FaceOff debate between Dr Subhash Gupta, chairman of the Max Centre for Liver and Biliary Sciences, and Dr Arvind Soin, chairman of the Medanta Liver Transplant Institute, who discussed the role of the family in organ donation.



How did the TimesFaceOff debate impact your stance on whether India should allow the families to decide to whom organs of the deceased go?

WHAT READERS SAID: In a country where organ donation is not widespread, let us focus on creating awareness and encouraging people to enroll in organ donation...

Release DA for govt staff, forces: Congress

New Delhi: Congress on Saturday demanded immediate release of dearness allowance (DA) suspended last year in the light of the pandemic to 1.15 crore government employees, including armed forces personnel.

Congress spokesperson Abhishek Singhvi said the government had cut allowances when salaries were on the decline and inflation was rising.

Even as Congress leader Rahul Gandhi said it is a crime to 'loot' Rs 37,500 crore from soldiers, government employees and pensioners, Singhvi alleged it was 'Machavellian' by the central government, in respect of dearness allowance

Even as Congress leader Rahul Gandhi said it is a crime to "loot" Rs 37,500 crore from soldiers, government employees and pensioners, Singhvi alleged it was "Machavellian" by the central government, in respect of dearness allowance can only highlight the mischief, malevolent and Machiavellian approach of the government," Singhvi said.

Cadaver donation rate in India is less than 1 per million which is one of the lowest in the world. Patients with organ failure, especially liver transplant patients, are virtually left with no option if they don't have a live, related donor. I think the solution suggested by Dr Gupta is a practical one and shall benefit millions - Sourav De, BENGALURU.

Awshamed Maneka is an MP from my party: Senior BJP MLA Ajay Vishnoi sparked controversy by using crude language for her own party MP, Maneka Gandhi, who is facing flak for an alleged insulting phone call to a veterinarian. Vishnoi's tweet in Hindi said: "The words used by BJP's Maneka Gandhi while talking to veterinarian doctor Vikas Sharma prove how poor a woman she is. I am ashamed she is an MP of my party." - TNM

TIMES interact Connecting People, Connecting Needs. Logon to: ads.timesgroup.com or Call: 18001205474 (Toll Free)

WANTED GROOMS. Well, Edu/ Settled in Delh/ Highly placed match for Arora girl Jen, 34 born Delhi 3/2 MBA, 3.20 Lacs in HD. Email: wellhighdelh@gmail.com

BENGALI. VERY Bhal 37, 13, 11, 94, 30234PM, Delhi, Mangliki girl sonwoni self. B.Tech working MNC. Email: 911307914.9871001347

BENGALI. SM4 Bengali Kanyash Good Looking Wheatish 30/12/47 B.Tech Working Jr. Eng Northern Railway Contact 93395044

BENGALI. Kanyash Girl from Kanpur 36/11/85 B.Ed Govt School Teacher U.S. based. Bengali Groom. 942034466.7146242464

TAMIL. WANTED Delhi had Empld and Telugu Tamil boy for girl 30/24 PA on Contract in Govt Firm. Fiter 802 4952401 8880 nrajes. 1956rediffmail

PUNJABI. SM for a Mughl Bhagat girl September 17, 1982, 2:05 AM. Shiksha born hair, F.T., B.Tech from Mumbai. MIA from IIT. Working in MNC earning Rs.15 lacs per annum. Father a senior RRI Officer. Cast no bar. 907864175. 903005773

RAJPUT Girl, 28, 5'3", wrking in London as a BARRISTER (LL.B, LL.M.) looking for an affluent well educated, settled match in London. 8130380793

Readers are recommended to make appropriate enquiries and seek appropriate advice before sending money, securing any services, acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication. The Times Of India Group disavows any claims made by the Advertiser of products and services. The Printer, Publisher, Editor and Owners of The Times Of India Group publications shall not be held liable for any consequences, in the event such claims are not honored by the Advertiser.

jobs RSV GROUP OF SCHOOLS V-JNV Colony, Bikaner REQUIRES PRINCIPAL / VICE PRINCIPAL, COORDINATOR / SUBJECT EXPERT, COUNSELLOR - M.A, ACTIVITY COORDINATOR.

tender & notices. रमेशचन्द्र सरकार का निधन. नया दिल्ली, 23 मार्च, 2021. 4500000/- (45000000/-) के लिए निविदा.

jobs. MEDICAL. FULL time Radiologist, Urologist, Nephrologist General Surgeon, Medical Oncologist for 160 bedded Trust Hospital (Goid.1807) Bhagwan Mahavir Hospital, Surmurg. Disha F I S | P A I I Rajasthan. 9789207534. subhankr@gmail.com

TECHNICAL ENGINEERS. REQUIRED. For an upcoming Big Resort at JAISALMER. 1. Civil Engineer/SME Incharge. Minimum 10 Years Experience of construction time at Rajasthan & must have knowledge of Sand Stone & Local Architecture. Apply: info@godwin.in

EDUCATION FORUM. POSTAL & CLASSROOM COACHING. 9th, 10th, 11th & 12th Students. Career in Design, Architecture & Fine Arts. NID NIFT PEARL CEED IASD CHITKARA UID NATA IIAID. Highest selection record from BRDS as compared to any coaching institute in India.

निविदा. एमिड संस्थान का नईदल स्कूल परियोजना के जम्मेदार जल्द कर राजकीय प्रिक्टिसललन में जई, सी यू यूमिड को रवाना किये जाई हेतु निम्नलिखित सामग्री का कू की जाई हे।

FOR SALE. PREMIUM FIRM. Immadi sale, NITAL TOWERS, Kolda, Amer, Contact 9137-97459975 / 94033-20093 (WhatsApp). 9790 9474, 4 BHK. Best rooms, fully furnished interior, Modular Kitchen, Servant, store room, Alacranite floor etc.

BUSINESS CONNECT. Required Financial Partner. Investment 5 Crore for Indian Army Contract. Assured Guaranteed Return 100%. 9313100035. 9313100035

EASY STEPS TO BOOK YOUR ADS IN. Logon to: ads.timesgroup.com. PAY: Online through: Credit card / Debit Card / e-Wallet / UPI / NEFT / RTGS

